भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.551

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

हरित सौर शहर

551. श्री अतुल गर्ग:

डॉ. लता वानखेड़े:

श्री राजेश वर्मा:

श्रीमती शांभवीः

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021 से अब तक हरित सौर शहरों के रूप में पहचाने गए या विकसित किए गए शहरों का विशेषकर मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के सागर, खगड़िया, समस्तीपुर और गाजियाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में राज्य-बार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और शहरी क्षेत्रों में स्थापित कुल सौर क्षमता कितनी है;
(ख) शहरी उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा की आपूर्ति में सरकार के सामने आने वाली ग्रिड एकीकरण चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार सौर संस्थापनाओं के लिए नियामक बाधाओं और अनुमोदन प्रक्रियाओं का समाधान किस प्रकार कर रही है;
(ग) सौर ऊर्जा क्षेत्र में कार्बन न्यूनीकरण और रोजगार सृजन में हरित सौर शहरों के योगदान का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या उक्त पहल के अंतर्गत शहरी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कोई वित्तीय सहायता या राजसहायता प्रदान की जाती है और यदि हाँ, तो 2021 से अब तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार इस पहल का विस्तार स्मार्ट शहरों तक करने और सौर ऊर्जा को शहरी अवसंरचना के साथ एकीकृत करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) से (ड.) वर्तमान में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश के विभिन्न शहरों को ग्रीन सौर शहरों के रूप में विकसित करने के लिए किसी विशेष योजना का कार्यान्वयन नहीं कर रही है।

तथापि, मंत्रालय ने वर्ष 2020 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया था कि वे सौर शहर के रूप में विकसित करने के लिए कम से कम एक शहर का चयन करें, जिसमें सौर शहरों के विकास के लिए विभिन्न मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग किया जा सके।

अब तक, मंत्रालय को सरकार के समक्ष शहरी उपभोक्ताओं को सौर विद्युत की आपूर्ति में आ रही ग्रिड एकीकरण की चुनौतियों पर कोई विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

****